(1024/4/26/2019)

''जलजमाव से घिरे अधिवक्ता ने तड़पकर दी जान, कॉल करने के बाद भी मदद नहीं''

'दैनिक जागरण' समाचार पत्र में दिनांक–10 अक्टूबर, 2019 को इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि दिनांक– 29 सितम्बर, 2019 को पटना जिलान्तर्गत कंकड़बाग मोहल्ला में जल जमाव के दौरान कंकड़बाग की रेंटल फ्लैट संख्या–258 में परिवार के साथ रहने वाले पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता, प्रमोद (55) को दोपहर में दिल का दौरा पड़ने पर उनके परिजनों द्वारा अस्पताल तक के लिए प्रशासनिक सहायता हेतु जिला नियंत्रण कक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल सर्जन तथा कंकड़बाग थाने कॉल किया गया। इस दौरान अस्वस्थ अधिवक्ता की चिकित्सा में मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा, बल्कि सभी एक–दूसरे पर फेंकते रहे।

उस समय कंकड़बाग इलाके में पांच फीट तक पानी था, इसलिए उनके परिजनों को घर से निकलना संभव नहीं था। अस्वस्थ अधिवक्ता को हार्ट अटैक के बाद पूरे शरीर में तीन घंटे तक बेचैनी होता रहा एवं चिकित्सा के अभाव में उनकी जान चली गयी।

समाचार पत्र के उपरोक्त सूचना के आलोक में आयोग द्वारा प्रस्तुत मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस प्रकार की बरती गयी तथाकथित प्रशासनिक लापरवाही के लिए जिलापदाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से दिनांक–25.10.2019 के पूर्व विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की जाय।

संचिका दिनांक 25.10.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्जवल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक